

अध्यक्ष महोदय : मैं कई दफ्ता कह चुका हू कि दोनों वर्गों साथ आये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह प्रशासन का मामला है .

अध्यक्ष महोदय : लेकिन अगर इन को कोई मुश्किल आये तब ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हर मंत्रालय में अनवाद की व्यवस्था है । थोड़ा-सा ध्यान दिया जाय तो अनुवाद कर के चीफ सामने आ सकती है लेकिन इस में आप को थोड़ी कड़ाई बरतनी होगी । जहा नहीं रख सकते उस के लिये डायरबमाल है . .

अध्यक्ष महोदय : उन को रीजन ब्रकर देना चाहिये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन यह क्या रीजन है कि ट्रांसलेशन नहीं हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : पहले तो रीजन भी नहीं देने थे, अब रीजन तो देने लगे हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह तो मजाक है—अनुवाद नहीं हुआ, इस लिये हिन्दी नहीं रख रहे हैं । अनुवाद क्यों नहीं हुआ ? आप एक फंसला करें कि जब तक हिन्दी नहीं आयेगा, नहीं रखा जाय, लेकिन उस में डिले की प्राबलम भी खड़ी न करें, समय पर रखा जाय, हिन्दी-अंग्रेजी दोनों में रखा जाय । यह कोई असम्भव काम नहीं है । दोनों साथ-साथ क्यों नहीं आ सकते । जब रिपोर्टें तैयार हो सकती है तो क्या हिन्दी का अनुवाद साथ साथ नहीं किया जा सकता । हर मंत्रालय के साथ हिन्दी के अनुवादक लगाये जा सकते हैं ।

12.52 hrs.

AMENDMENT TO DIRECTIONS BY THE SPEAKER

SECRETARY GENERAL: Sir, I beg to lay on the Table a copy of the amend-

ment to Direction 2 issued by the Speaker under the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

12.52-1/2 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:

- (i) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Gujarat Appropriation Bill, 1974, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 22nd March, 1974, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."
- (ii) "In accordance with the provisions of sub rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (Railways) Bill, 1974, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 22nd March, 1974, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

12.55 hrs.

CONVICTION AND RELEASE OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी आप रोख किसी न किसी सदन में आ जाते हैं । हफ्ता-दो सदन में नहीं आता कि यह किस तरह का प्रोसेडर